(नियम 26)

2025/129

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 56 / 2025

राजस्थान सरकार जरिये मुकेश बुगालिया, प्रवर्तन निरीक्षक, अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

श्री रवि कुमार प्रजापत पुत्र श्री गोविन्द कुमार प्रजापत
मैसर्स आर.के. गैस सर्विस, अटल चौक, थाना रूपनगढ .....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री मुकेश बुगालिया, प्रवर्तन निरीक्षक — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 12.11.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.02.2025 को विभागीय निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध दुरूपयोग एवं गैस रिफलिंग रोकथाम अभियान के तहत जांच दल आर.के.गैस सर्विस, अटल चौक, रूपनगढ अजमेर पहूँचे। जांच दल में मीना डेचरवाल प्रवर्तन अधिकारी, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक, मौके पर 02 घरेलु एलपीजी सिलेण्डर का व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा एल.पी. जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी की अवलहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर एचपी गैस एजेन्सी का कार्मिक श्री रवि प्रकाश मोर्य, रूपनगढ को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	अप्रमाणित गैस सिलेण्डर 5 किग्रा				
2	7312613	HPCL	16.1	16.400	0.300
3	048246 पी	HPCL	15.4	29.6	14.2

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर,06 अप्रमाणित नॉन मार्का 5 किग्रा सिलेण्डर एवं 04 बडी व 06 छोटी रिफिलिंग पाईप को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर । पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर पेरोकार सरकार को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 25.02.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस

सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर,06 अप्रमाणित नॉन मार्का 5 किग्रा सिलेण्डर एवं 04 बडी व 06 छोटी रिफिलिंग पाईप गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर,06 अप्रमाणित नॉन मार्का 5 किग्रा सिलेण्डर एवं 04 बडी व 06 छोटी रिफिलिंग पाईप मय 14.500 किग्रा एलपीजी को राजसात फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 25.02.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर,06 अप्रमाणित नॉन मार्का 5 किग्रा सिलेण्डर एवं 04 बडी व 06 छोटी रिफिलिंग पाईप मय 14.500 किग्रा एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर